उत्तराखण्ड स्टेट सीड् एण्ड ऑर्गनिक प्रोडक्शन सर्टीफिकेशन एजेन्सी
तृतीय तल, किसान भवन, मसूरी बाई पास रिंग रोड, नेहरूग्राम, देहरादून
उत्तराखण्ड, पिन कोड–248014
e-mail: info@usoca.org, uss_opca@yahoo.com
फोन संख्या : 0135–2671734 / 2669920 फैक्स: 0135-2671861

USOCA
NPOP/NAB/0011

पत्राँक 1347 तक0(54) / मा0 बै0 / I / 2018
देहरादून: दिनॉक 20 अक्टूबर, 2018

कार्यालय आदेश

वर्तमान में बीज उत्पादक संस्था द्वारा स्वयं का बीज विधायन सयंत्र न होने पर बीजों के अन्तःग्रहण एवं विधायन कार्यो हेतु किसी बीज विधायन सयंत्र के साथ अनुबन्ध किया जाता है, परन्तु कुछ बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा इस दौरान स्वयं के बीज विधायन सयंत्र स्थापित कर उत्पादित बीजों को स्वंय के बीज विधायन सयंत्र पर अन्तःग्रहण एवं विधायन की अनुमति हेतु पत्राचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में कोई स्पष्ट व्यस्था नहीं होने के कारण व्यवहारिक कठिनायॉ आ रही है। इस सन्दर्भ में निदेशालय में दिनांक 01.09.2018 को आहूत समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि भवष्यि में ऐसी बीज उत्पादक संस्थाओं को रबी, जायद एवं खरीफ फसल सत्रों में क्रमशः 30 अप्रैल, 30 अगस्त एवं 30 नवम्वर तक सयंत्र पंजीयन कराने पर ही स्वंय के बीज विधायन सयंत्र पर बीजों के अन्तःग्रहण एवं विधायन की अनुमति प्रदान की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में उसे अनुबन्धित सयंत्र पर ही अन्तःग्रहण एवं विधायन कराना अनिवार्य होगा।

अतः उक्त के क्रम में समस्त प्रभारी / प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय का पालन करते हुए प्रत्येक बीज उत्पादक संस्था को पंजीयन आवेदन के समय ही उक्त नियम एवं शर्तो से भली भॉति अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में कोई नियम विरूद्ध प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित प्रभारी / प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

निदेशक
बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण

पत्राँक तक0 (54) / मा0 बै0 / I / 2017 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वरिष्ठ बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक, तकनीकी अनुभाग, निदेशालय, देहारादून।

2– समस्त प्रभारी / प्रभारी अधिकारी, इकाई / क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, हरिद्वार, जसपुर, काशीपुर, रामनगर, बाजपुर, गदरपुर, रूद्रपुर एवं सितारगंज।

3– प्रभारी उप निदेशक, सम्भागीय कार्यालय, काशीपुर।

4– उप निदेशक (तकनीकी / लेखा) निदेशालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि बीज उत्पाक संस्था पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लेखित नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत उक्त निर्देशों का पालन करते हुए भी सूचना का अंकन करेंगें।

निदेशक